BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 24 मई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अज्जू उर्फ अजहर पुत्र अलाउद्दीन निवासी मौ0 पैठ वाली गली कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में थाना सिकन्द्राबाद के मौ0 कायस्थवाड़ा निवासी टेकचन्द की मारपीट कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.08.2014 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं – 722/2014 धारा- 302 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। दिनांक 29.08.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.05.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अज्जू उर्फ अजहर उपरोक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल राघव व रश्मि सोलंकी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर